राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4455/2022

श्रीमती रेखा मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (HQ), जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, सेठ आनन्दी लाल पोद्दार बधिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.09.2022
आदेश की दिनांक : 02.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी.मीणा, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला छात्रावास वार्डन के पद पर राजकीय सेठ आनन्दी लाल पोद्दार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए उपस्थिति देने हेतु कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जयपुर पूर्व के लिए आदेशित किया गया और आदेश दिनांक 03.08.2022 के द्वारा उसे कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने स्थानान्तरण से सम्बन्धित अभ्यावेदन दिया, जिसमें यह उल्लेखित किया कि अन्य छात्रावास में अप्रशिक्षित अध्यापक कार्य

कर रहे हैं, परन्तु अपीलार्थी को भी आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है जो नियमों के विपरीत है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने उसके अभ्यावेदन का कोई निराकरण नहीं किया। छात्रावास प्रबंधक का कार्य केवल छात्रावास का रख–रखाव आदि का कार्य होता है। उक्त विद्यालय में कई वरिष्ठ अप्रशिक्षित अध्यापक भी कार्य कर रहे हैं, परंतु उन्हें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में नहीं रखा गया है, जो नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन महिला छात्रावास वार्डन के पद पर राजकीय सेठ आनन्दी लाल पोद्दार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर में कार्यरत है। जहां तक दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जयपुर पूर्व में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किए जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 में निम्नलिखित स्पष्ट उल्लेख किया गया है :–

> *''एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2904/2018 योगेन्द्र कुमार जोशी बनाम सरकार प्रकरण के सम्बन्ध में श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/विविध/विशिष्ट विद्यालय/2019 दिनांक 05.07.2022 एवं कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर के पत्रांक संनि/स्कूल–शिक्षा/जय/सामा–5, विधि/एफ–डीबी/2016/01 दिनांक 07.07.2022 की पालना में राजकीय सेठ आनन्दीलाल पोददार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर के पत्रांक 954 दिनांक 29.07.2022 के अनुसार निम्नांकित UNTREND IN HEARING DISABILITY अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जयपुर पूर्व जयपुर में देवें।''*

उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आलोच्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्च स्तर पर अनुमोदित कर जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल होना नहीं पाते हैं।

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य